

**TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(11) OF THE GAZETTE OF INDIA**

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)**

New Delhi, the 10.9.84

**Notification  
Income-tax**

No. 5972 (F.No.203/147/84-ITA.II): In continuation of this office Notification No.4445(F.No.203/165/81-ITA.II) dated 25-1-82, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:-

- i) That the Burns Association of India, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

**Institution.**

Burns Association of India, Bombay.

This notification is effective for a period from 10-9-1983 to 31-10-1984.

*Girish Dave*

(Girish Dave)

Under Secretary to the Government of India

Mdlik/

भारत के राजस्व के मान ॥ खण्ड 31111 में प्रकाशनाथ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

बई दिल्ली, दिनांक 10.9.84

अधिसूचना

आयकर।

सं० 5972 - [का०सं० 203/149/84-आ०कोवि०111] : इस कार्यलय की दिनांक 25.1.82 की अधिसूचना सं० 4445[का०सं० 203/165/81-आ०कोवि०111] के विनियमों में, सर्वसाधारण की आवश्यकता के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बई दिल्ली के विनियमित संस्था को आयकर विधम 1962 के विधम 6 के साथ पठित आयकर अधिविधम, 1961 की धारा 35 की उपधारा 111 के संक 1111 के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के असीम विनियमित वर्गों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-

1. यह कि बर्हिई एसोसिएशन आफ इण्डिया, बम्बई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशियों का पूरा लेखा रखेगा ।
2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्राख्य में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।
3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय क्वाति हुए अपने संबंधित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंवर्तितियां, देवदारियां क्वाति हुए तुल्य-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इस दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

बईया

बर्हिई एसोसिएशन आफ इण्डिया, बम्बई ।

यह अधिसूचना 18.9.1983 से 31.10.1984 तक २